दैनिक भारत कि
तामीर
संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin
बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-११६ वा | रविवार २१ जून २०२६ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड में पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटील समेत सभी आरोपी बरी

सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला, सांसद ओमराजे निंबाळकर को बड़ा झटका

जमीर काज़ी

मुंबई : राजनीतिक दुश्मनी और पारिवारिक विवाद से जुड़े बहुचर्चित पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड में पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटील समेत सभी आठ आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। करीब २० वर्ष पुराने इस मामले में शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सत्यनारायण नवांदर ने यह फैसला सुनाया। इस निर्णय को ठाकरे गुट छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुए सांसद ओमराजे निंबाळकर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले सांसद संजय राउत ने दावा किया था कि इस मामले के फैसले को लेकर ओमराजे निंबाळकर पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था। पूर्व सांसद और मंत्री पद्मसिंह पाटील के पुत्र जयजीत राणा वर्तमान में भाजपा विधायक हैं, जबकि उनकी पुत्रवधू अर्चना पाटील धाराशिव जिला परिषद की अध्यक्ष हैं। अदालत के इस फैसले से उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।

सीबीआई के अनुसार, धाराशिव जिले के तत्कालीन कांग्रेस नेता पवनराजे निंबाळकर की हत्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई थी। आरोप था कि उनके चचेरे भाई और राजनीतिक विरोधी पद्मसिंह पाटील ने भाड़े के शूटरों के माध्यम से ३ जून २००६ को नवी मुंबई में पवनराजे निंबाळकर और उनके चालक समद काज़ी की गोली मारकर हत्या करवाई थी। जांच एजेंसी का दावा था कि इस हत्या के लिए २५ लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने पद्मसिंह पाटील सहित आठ लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।

शुक्रवार सुबह ११:२५ बजे अदालत ने फैसले का वाचन शुरू किया। फैसले से पहले सांसद ओमराजे निंबाळकर, उनके भाई जयराजे निंबाळकर, उनकी माता आनंदीदेवी

निंबाळकर तथा दिवंगत चालक समद काज़ी की पत्नी और पुत्र अदालत में मौजूद थे। मुख्य आरोपी पद्मसिंह पाटील (८६ वर्ष) उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से एंबुलेंस से अदालत पहुंचे थे। अन्य आरोपी भी न्यायालय में उपस्थित रहे।

दोपहर लगभग १ बजे तक फैसला पढ़ा गया। अदालत ने कहा कि हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी के विवरण मेल नहीं खाते, मृतक और अन्य संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) में भी सामंजस्य नहीं है तथा सरकारी गवाह के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए गए हैं। अदालत ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होते। न्यायालय ने यह भी कहा कि माफी के गवाह की गवाही विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उसके बयान के आधार पर आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

सीबीआई अब इस फैसले को चुनौती देने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।

बरी किए गए आरोपी

अदालत ने पद्मसिंह पाटील, लातूर के उद्योगपति सतीश मंदाडे, सेवानिवृत्त राज्य उत्पाद शुल्क निरीक्षक मोहन शुक्ला, शशिकांत कुलकर्णी, कैलाश यादव, दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह और छोटे पांडे को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, सतीश मंदाडे और मोहन शुक्ला पर आरोप था कि उन्होंने पारसमल जैन को पवनराजे निंबाळकर की हत्या के लिए २५ लाख रुपये की सुपारी दी थी। बाद में पारसमल जैन सरकारी गवाह बन गया था।

सांसद ओमराजे निंबाळकर और परिवार को झटका ▶▶पान ४ पे

गन्ना कटाई मजदूरों की अग्रिम राशि को लेकर विवाद; युवक का अपहरण, तीन आरोपी हिरासत में

परली वैजनाथ (प्रतिनिधि) :

गन्ना कटाई के लिए दी गई अग्रिम राशि को लेकर हुए विवाद में एक युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में परली शहर पुलिस थाने में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, १९ जून की सुबह लगभग ९ बजे परली वैजनाथ के मोंढा क्षेत्र स्थित अरुणोदय मार्केट में यह घटना हुई। पीड़ित विनोद नवनाथ वैरागे (निवासी स्वाभिमान नगर, परली वैजनाथ) से गन्ना कटाई के लिए ली गई अग्रिम राशि के संबंध में आरोपियों ने पूछताछ की। इसके बाद आपसी साजिश के तहत विनोद वैरागे के साथ मारपीट की गई तथा गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के अनुसार, इसके बाद उसका जबरन अपहरण कर लिया गया।

इस मामले में राजू प्रल्हाद कांबले (निवासी सोरजा, तहसील जिंतूर, जिला परभणी) द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर परली शहर पुलिस थाने में अपराध क्रमांक १६०/२०२६ दर्ज किया गया है।

मामले में आप्पाराव उर्फ माऊली उजगरे, सविन आप्पाराव उजगरे, विश्वजीत ज्ञानेश्वर कदम, गिरीधर शत्रुघ्न पुरी, दीपक चव्हाण तथा सचिन संतोष कदम के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एमएच ▶▶पान ४ पे

जनता का सूचना का अधिकार समाप्त करने की कोशिश, राजपत्र की अवैध धाराएं तत्काल रद्द की जाएं- हर्षवर्धन सपकाळ

जमीर काज़ी

मुंबई :

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने देश की जनता को ऐतिहासिक सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के रूप में एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया था। लेकिन वर्तमान सरकार नागरिकों को जानकारी से दूर रखने के लिए बाधाओं की दीवार खड़ी कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हाल ही में जारी राजपत्र में गंभीर कानूनी त्रुटियां तथा मूल कानून के विपरीत प्रावधान शामिल किए गए हैं। इससे नागरिकों के सूचना के अधिकार को ही समाप्त करने का प्रयास किया गया है तथा शासन की पारदर्शिता के सिद्धांत को भी आघात पहुंचा है। सरकार को इन अवैध प्रावधानों को तत्काल रद्द करना चाहिए। यह मांग महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने की है।

राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा १२ जून २०२६ को प्रकाशित राजपत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के विपरीत और अवैध प्रावधान शामिल किए गए हैं। सूचना अधिकार आवेदन, प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित शुल्क में भारी वृद्धि की गई है।

उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों के लिए सूचना का अधिकार कानून का उपयोग आर्थिक रूप से कठिन हो जाएगा और इस कानून का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होगा। केंद्र सरकार आज भी सूचना अधिकार आवेदन के लिए केवल १० रुपये शुल्क लेती है तथा अपील के लिए कोई शुल्क नहीं लेती। ऐसे में राज्य सरकार जनता से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की नीति क्यों अपना रही है, यह समझ से परे है।

सपकाळ ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ४(१)(क) और ४(१)(ड) के अनुसार जनता को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे के कारण, तथ्य, विचार प्रक्रिया और संबंधित जानकारी को स्वतः सार्वजनिक करना अनिवार्य है। लेकिन शुल्क वृद्धि के निर्णय के संबंध में कोई कारण, अध्ययन, आर्थिक विश्लेषण अथवा वस्तुनिष्ठ जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।

उन्होंने आगे कहा कि इसी राजपत्र की धारा ११(ग) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि कोई विभाग अनिवार्य जानकारी स्वतः प्रकाशित करने में विफल रहता है तो इसे कर्तव्य की उपेक्षा माना जाएगा और संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए स्वयं निर्धारित प्रावधानों का पालन न करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे के विरुद्ध धारा ११(ग) के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

हर्षवर्धन सपकाळ ने यह भी कहा कि राजपत्र में प्रकाशित सूचना अधिकार आवेदन के प्रारूप में आवेदक के लिए सूचना मांगने का उद्देश्य बताना अनिवार्य किया गया है। यह शर्त ▶▶पान ४ पे

बार्शी नाका क्षेत्र में मिला युवक का शव

बीड, २० जून (प्रतिनिधि) :

बीड शहर के बार्शी नाका क्षेत्र में शनिवार (२० जून) को एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शेख नयूम शेख लाल (उम्र ३५ वर्ष, निवासी पापनेश्वर मंदिर परिसर, बीड) के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेख नयूम बार्शी नाका क्षेत्र में मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही पेठ बीड पुलिस थाने के पुलिस कर्मी अल्ताफ शेख और शिवाजी राख तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे।

पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस की सहायता से शव को जिला सरकारी अस्पताल, बीड भेज दिया।

फिलहाल मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जुआ अड्डे पर पेठ बीड पुलिस की छापेमारी

सात लोग हिरासत में, ४८ हजार रुपये से अधिक का सामान जब्त

बीड, २० जून (प्रतिनिधि) :

पेठ बीड पुलिस थाना क्षेत्र की पूरग्रस्त कॉलोनी में चल रहे अवैध ताश के जुआ अड्डे पर पुलिस ने मध्यरात्रि छापेमारी कर सात लोगों को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई में नकद राशि और मोबाइल फोन सहित कुल ४८ हजार ६३० रुपये का सामान जब्त किया गया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार १९ जून की रात लगभग १२:३० बजे पूरग्रस्त कॉलोनी स्थित खडेबरी मंदिर जाने वाले मार्ग के किनारे एक खुले टीन शेड के नीचे कुछ लोग पैसों पर 'तिरट' नामक जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा और कार्रवाई की।

इस मामले में जगन बंत्री अवचार (४२), किरण भास्कर वाघमारे (३२), राहुल राजेंद्र शिंदे (३५), भौय्या सर्जेराव भोले (३२), शेखर प्रकाश आघव (२२), प्रकाश बळीराम वाघमारे (३२) तथा विशाल श्रावण वाघमारे (३२) के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी पूरग्रस्त कॉलोनी, पेठ बीड ▶▶पान ४ पे

दशक्रिया संस्कार में गए व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत

परली, २० जून (प्रतिनिधि) :

तालुका के हिवरा (गो) गांव निवासी सुरेश रासवे (उम्र ५० वर्ष) की परभणी जिले के रामपुरी स्थित गोदावरी नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। यह घटना शनिवार, २० जून को घटी। रिश्तेदारों के दशक्रिया संस्कार में शामिल होने गए सुरेश रासवे की आकस्मिक मृत्यु से हिवरा (गो) गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरेश रासवे अपने एक रिश्तेदार के दशक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामपुरी (ता. मानवत) गए थे। इसी दौरान गोदावरी नदी में तैरते समय वे अचानक लापता हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल खोज अभियान शुरू किया। मानवत के तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड के मार्गदर्शन में नगर परिषद के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, तलाठी, एनडीआरएफ दल तथा स्थानीय नागरिकों की सहायता से व्यापक स्तर पर खोजबीन की गई।

नदी के लगभग ३० से ४० फीट गहरे पानी में तलाश अभियान चलाया गया। करीब तीन से चार घंटे के अथक प्रयासों के बाद दोपहर लगभग ३ से ३:१५ बजे के बीच सुरेश रासवे का शव नदी से बाहर निकाला गया।

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया।

इस दुखद घटना से हिवरा (गो) गांव तथा आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। मामले की आगे की जांच जारी है।

जाति प्रमाणपत्र अवैध घोषित, नगरसेविका का पद रद्द

बीड (प्रतिनिधि) :

नगरपालिका चुनाव में दूसरे परिवार के दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुनाव लड़ने वाली नगरसेविका रेखा सरोदे का जाति वैधता प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है। इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

रेखा सरोदे नगर परिषद चुनाव में प्रभाग क्रमांक १ से पिछड़ा वर्ग महिला आरक्षित सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुई थीं। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कुणबी जाति प्रमाणपत्र को लेकर सुमन मुंडे ने आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था

कि यह प्रमाणपत्र गलत और भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया है। इसके बाद मामला जिला जाति सत्यापन समिति के समक्ष पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दावों की जांच की गई।

जांच के दौरान समिति को रेखा सरोदे के मूल शैक्षणिक अभिलेखों में कई विसंगतियां मिलीं। खळवट लिमगांव स्थित उनके स्कूल रिकॉर्ड में केवल 'हिंदू' अथवा 'हिंदू मराठा' दर्ज पाया गया, जबकि कहीं भी 'कुणबी' जाति का उल्लेख नहीं मिला।

जांच में यह भी सामने आया कि कुणबी जाति सिद्ध करने के लिए रेखा सरोदे ने अपने गांव से लगभग १५ किलोमीटर दूर स्थित कुप्पा गांव के निवासी यशवंत संभाजी नामक व्यक्ति को अपना पूर्वज बताया था। बाद की जांच में समिति ने पाया कि उक्त व्यक्ति वास्तव में सावंत परिवार के पूर्वज थे और उनके आधार पर पहले ही पृथ्वीराज दादासाहेब सावंत को जाति वैधता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका था। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरे परिवार के पूर्वजों के दस्तावेजों का उपयोग कर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया था।

शैक्षणिक अभिलेखों में पाई गई विसंगतियों तथा गलत वंशावली के आधार पर प्राप्त कुणबी प्रमाणपत्र को देखते हुए ▶▶पान ४ पे

नियमितता ही सफलता का वास्तविक मार्ग : सबीहा बाजी

सबीहा बाजी के मार्गदर्शन में मिल्लिया स्कूल में प्रवेशोत्सव उत्साहपूर्वक संपन्न

बीड (प्रतिनिधि) :

मिल्लिया स्कूल में शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजुमन इशाअत-ए-तालीम की सचिव एवं प्रसिद्ध मार्गदर्शिका खान सबीहा बाजी ने की।

इस अवसर पर विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सबीहा बाजी ने कहा कि नियमितता ही विद्यार्थियों का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में सफलता के द्वार केवल शिक्षा के माध्यम से ही खुलते हैं। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतरता और दृढ़ संकल्प अत्यंत आवश्यक हैं। विद्यार्थियों को केवल परीक्षा देने वाला छात्र न बनकर ज्ञान की प्यास बनाए रखनी चाहिए तथा नियमित अध्ययन की आदत विकसित करनी चाहिए। ऐसा करने पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना सहज संभव है।

कार्यक्रम में विद्यालय के मुख्याध्यापक डॉ. सिद्दीकी मोहम्मद इरफान सादुल्लाह भी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए नए शैक्षणिक वर्ष के लिए शुभकामनाएं दीं तथा शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रवेशोत्सव के अवसर पर विद्यालय में हर्षोल्लास का वातावरण था और छात्राओं में नए शैक्षणिक वर्ष को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपमुख्याध्यापक खुर्शीद अहमद, सुपरवाइजर नसरीन फरहाना तथा सभी शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने विशेष परिश्रम किया। कार्यक्रम का संचालन काजी अरशिया ने किया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्राएं तथा अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ एवं गायक एम.एम. शेख का सम्मान

बीड (प्रतिनिधि) :

मुक्त पत्रकार एस.एम. यूसुफ को ऑल टाइम बेस्ट रिपोर्टर तथा प्रसिद्ध गायक एम.एम. शेख को कलाभूषण एवं समाजभूषण पुरस्कारों से २० जून को साप्ताहिक युवा लोकमित्र समाचार पत्र के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर यूसुफ पठान, मजहरुद्दीन शेख, मुजीब सय्यद एवं सैलानी शेख ने दोनों सम्मानित व्यक्तित्वों का वस्त्र, पुष्पहार एवं मिठाई भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दोनों प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाना समाज के लिए गौरव की बात है।

यह संक्षिप्त सम्मान समारोह स्वरांजली संगीत अकादमी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ संगीत विशेषज्ञ एवं गायक मजहरुद्दीन शेख, यूसुफ पठान, मुजीब सय्यद, हर्ष साल्वे, समीर शेख, मनीषा दलवी, राहुल गवली, सैलानी शेख, दानिश शेख, लईख शेख तथा मुबारक शेख सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे।

सभी उपस्थितजनों ने एस.एम. यूसुफ और एम.एम. शेख को आगामी सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

प्रा.डॉ.अनुप्रिता मोरे को छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज पुरस्कार-२०२६ घोषित

बीड (प्रतिनिधि) :

वंचित, उपेक्षित तथा समाज के अनदेखे वर्गों से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर निरंतर कार्य करने वाली प्रा. डॉ. अनुप्रिता जाईबाई मोरे (बीड) को विवेक विचार मंच द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज पुरस्कार-२०२६ घोषित किया गया है।

सामाजिक न्याय, शिक्षा तथा जनजागरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।

पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. शरणकुमार लिंबाले, पद्मश्री दादा इदाते, सामाजिक न्याय मंत्री श्री संजय शिरसाट, बार्टी की प्रभारी महासंचालक श्रीमती दीपा मुधोळ-मुंडे, आर्टी के प्रबंध निदेशक श्री सुनील वारे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रा. डॉ. रजनीश कामत तथा विवेक विचार मंच के राज्य कार्यवाह श्री महेश पोहनेरकर उपस्थित रहेंगे। उनके हस्तों से यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

यह पुरस्कार वितरण समारोह रविवार, २८ जून २०२६ को भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, महाड में आयोजित किया गया है। प्रा. डॉ. अनुप्रिता मोरे को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित किए जाने पर शैक्षणिक, सामाजिक तथा विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने उनका अभिनंदन किया है।

डॉ. मोहम्मद अवेस अशफाक बागबानने एमबीबीएस में हासिल की उल्लेखनीय सफलता

होराइजन मल्टीपरपज़ सोसायटी ने किया सम्मानित

जलगांव (अक़िल ख़ान ब्यावली):

शहर की प्रसिद्ध केला आपूर्ति फर्म मोहम्मद निसार केला सप्लाई कंपनी व युनिक शैक्षणिक संस्थान के संचालक अलहाज मोहम्मद अशफाक बागबान के सुपुत्र मोहम्मद अवेस ने इस वर्ष आयोजित एमबीबीएस परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर होराइजन मल्टीपरपज़ सोसायटी की ओर से उनका सम्मान कर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर सोसायटी के अध्यक्ष मोहम्मद ज़िया बागबान, उपाध्यक्ष मुश्ताक बहेश्ती, सदस्य शेख़ ऐनुद्दीन बिल्डर, मुस्तफा बहेश्ती, अलहाज मोहम्मद अशफाक बागबान सहित मित्रमंडली उपस्थित रही। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक व्यापारी परिवार से संबंध रखने वाले इस होनहार युवा की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि की सर्वत्र सराहना की जा रही है.

परभणी में हनुमान मंदिर का सभामंडप ढहा, कई श्रद्धालु दबे

राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी

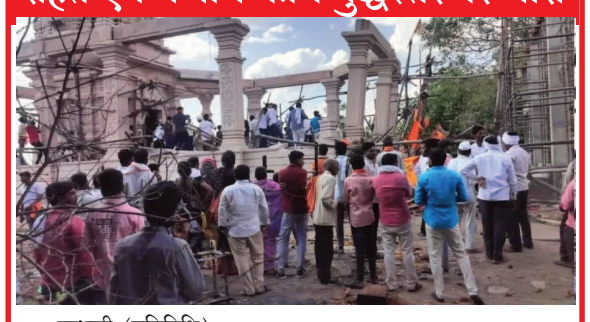

परभणी (प्रतिनिधि) :

परभणी जिले के मानवत तालुका स्थित यशवाड़ी गांव में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के सभामंडप का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिसके कारण कई लोग मलबे के नीचे दब गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ३० से ४० श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका व्यक्त की गई थी।

घटना के तुरंत बाद मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय नागरिकों, पुलिस, प्रशासन तथा बचाव दलों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में कई श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार मृतकों और घायलों की संख्या को लेकर अलग-अलग प्रारंभिक आंकड़े सामने आए हैं, जबकि प्रशासन द्वारा आधिकारिक जानकारी जुटाई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा आपदा प्रबंधन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंदिर परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था और उसी दौरान यह दुर्घटना हुई।

इस दर्दनाक घटना से यशवाड़ी गांव सहित पूरे परभणी जिले में शोक और चिंता का माहौल है।

पुणे की विराट सभा में बाबूराव पोटभरे का उपवर्गीकरण का तीव्र विरोध

पुणे (प्रतिनिधि) :

अनुसूचित जातियों में विभाजन पैदा करने वाली किसी भी नीति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक समानता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित भारत के निर्माण के लिए हमारा संघर्ष जारी है। यह दृढ़ प्रतिपादन बहुजन विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूराव पोटभरे ने किया।

अनुसूचित जातियों के आरक्षण में प्रस्तावित 'एबीसीडी' उपवर्गीकरण के विरोध में निकाला गया बीड से मुंबई पैदल लॉन्ग मार्च पुणे पहुंचने पर पुणे रेलवे स्टेशन परिसर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए बाबूराव पोटभरे ने राज्य सरकार की उपवर्गीकरण संबंधी पहल की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के लोगों को एकजुट कर जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र और रंग के आधार पर बनी दीवारों को तोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। सामाजिक एकता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी उपवर्गीकरण हमें स्वीकार नहीं है। यह लॉन्ग मार्च किसी समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा संघर्ष है। पोटभरे ने आगे कहा कि बीड से मुंबई तक का यह पैदल लॉन्ग मार्च केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि स्थापित व्यवस्था के खिलाफ बहुजन समाज की आवाज है। संवैधानिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और आरक्षण के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए हजारों भीमसैनिक सड़कों पर उतरे हैं। यह संघर्ष समाज में विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को और अधिक मजबूत बनाने के लिए है। समानता के लिए संघर्ष, एकता के लिए पैदल यात्रा और संविधान की रक्षा के लिए संकल्प जैसे नारों से पुणे का वातावरण गूंज उठा। बीड से शुरू हुआ यह लॉन्ग मार्च अब सामाजिक न्याय की व्यापक लड़ाई का प्रतीक बन चुका है और आंदोलनकारियों का कहना है कि मुंबई पहुंचने तक यह आवाज और अधिक बुलंद होगी।

गुजरात में हिंदू-मुस्लिम एकता की दो प्रेरणादायक मिसालें

हिंदू युवकने मुस्लिम बहन को दिए १.११ लाख रुपये, नडियाद की मस्जिदने परीक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए खोले दरवाजे

अहमदाबाद/नडियाद □ हबीब शेख कि रिपोर्ट

गुजरात में हिंदू-मुस्लिम एकता और भाईचारे की दो ऐसी मिसालें सामने आई हैं, जिन्होंने समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है। एक ओर बनासकांठा जिले में एक हिंदू युवक ने अपनी मुस्लिम बहन को विवाह के अवसर पर १.११ लाख रुपये का उपहार देकर दशकों पुराने पारिवारिक रिश्ते को निभाया, वहीं दूसरी ओर नडियाद में एक मस्जिद ने परीक्षा देने आए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अपने दरवाजे खोलकर मानवता और सेवा का परिचय दिया।

जानकारी के अनुसार, थराद तालुका के हथवाड़ा गांव में आयोजित एक विवाह समारोह में कनोदर गांव निवासी परेशभाई चावड़ा ने अपने दिवंगत पिता सावजीभाई मोनाभाई चावड़ा द्वारा वर्षों पहले स्थापित भाई-बहन के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम परिवार की बेटी को १.११ लाख रुपये का उपहार भेंट किया।

बताया गया कि वर्ष १९९४ में सावजीभाई चावड़ा हथवाड़ा गांव में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उस दौरान उन्होंने गांव की अंतरबाई मथोसा जुनेजा को अपनी धर्म बहन बनाया था। समय के साथ सावजीभाई का निधन हो गया, लेकिन उनके पुत्र परेशभाई ने अपने पिता के इस रिश्ते को जीवित रखा। जब जुनेजा परिवार की बेटी का विवाह हुआ, तब उन्होंने अपनी धर्म बहन को १.११ लाख रुपये की भेंट देकर भाईचारे की मिसाल पेश की।

इसी दौरान खेड़ा जिले के नडियाद शहर में भी सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रेरक उदाहरण देखने को मिला। ११वीं कक्षा की पूरक परीक्षा देने आए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए नई मस्जिद के प्रबंधन ने विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की।

संसकार स्कूल परीक्षा केंद्र के निकट स्थित नई मस्जिद ने भीषण गर्मी को देखते हुए अपने वातानुकूलित (एसी) हॉल को अभिभावकों के लिए खोल दिया। इसके साथ ही ठंडे पेयजल, मोबाइल चार्जिंग, प्राथमिक उपचार, शौचालय, पार्किंग तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क एंबुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं।

मस्जिद समिति के सदस्यों और स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने यह सुनिश्चित किया कि दूर-दराज से आए अभिभावकों और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। परीक्षा केंद्र पर आने वाले अधिकांश अभिभावक हिंदू समुदाय से थे, जिन्होंने मस्जिद द्वारा की गई इस सेवा और सद्भावना की सराहना की।

स्थानीय लोगों के अनुसार, नई मस्जिद द्वारा इस प्रकार की सामाजिक सेवा वर्ष २०१४ से लगातार की जा रही है। मस्जिद समिति के ट्रस्टी आबिदभाई, लतीफभाई, रफीकभाई तथा अन्य सदस्यों ने इस व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों घटनाओं को गुजरात में हिंदू-मुस्लिम एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों की प्रेरणादायक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

पान १ वरून

पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड...

इस फैसले से सांसद ओमराजे निंबाळकर और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। राज्य के सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में शामिल इस हत्याकांड पर पूरे महाराष्ट्र की नजर थी। धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबाळकर के पिता पवनराजे निंबाळकर और उनके चालक समद काज़ी की ३ जून २००६ को कळंबोली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी थी।

जांच एजेंसियों का आरोप था कि पवनराजे निंबाळकर के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी हत्या की साजिश रची गई थी और इस साजिश के पीछे पद्मसिंह पाटील का हाथ था। हालांकि, विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

जनता का सूचना का अधिकार समाप्त करने ...

सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ६(२) के स्पष्ट रूप से विपरीत है। उक्त धारा के अनुसार सूचना मांगने वाले व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि उसे सूचना किस उद्देश्य से चाहिए। इसलिए राजपत्र के माध्यम से संसद द्वारा पारित मूल कानून की भावना और प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

सपकाळ ने मांग की कि १२ जून २०२६ के राजपत्र में शामिल सभी अवैध और कानून-विरोधी प्रावधानों को तत्काल रद्द किया जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ४ के उल्लंघन तथा राजपत्र की धारा ११(ग) के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही सूचना अधिकार आवेदन के प्रारूप में उद्देश्य बताने की अनिवार्यता को तत्काल समाप्त कर इस संबंध में शुद्धिपत्र जारी किया जाए। शुल्क वृद्धि के पीछे के कारण, अध्ययन रिपोर्ट, आर्थिक विश्लेषण तथा अन्य सभी संबंधित जानकारियां सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ४ के तहत स्वतः सार्वजनिक की जाएं। ऐसी मांग भी उन्होंने की है।

गन्ना कटाई मजदूरों की ...

-४६ एयू-५९८१ नंबर की चार पहिया वाहन जब्त कर ली है तथा तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। हालांकि, अभी तक कोई अन्य मुद्देमाल बरामद नहीं हुआ है।

मामले की आगे की जांच पुलिस उपनिरीक्षक शिंगणे कर रहे हैं। परली शहर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक नाचण ने घटनास्थल का दौरा कर जांच की समीक्षा की है।

जुआ अड्डे पर पेठ बीड...

के निवासी हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ६ हजार ६३० रुपये नकद तथा चार मोबाइल फोन सहित कुल ४८ हजार ६३० रुपये का सामान जब्त किया। इस संबंध में पुलिस हवलदार नितीन माणिकराव राठोड की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई प्रभारी पुलिस निरीक्षक निलेश केळे के मार्गदर्शन में नित्यानंद उबाळे, एपीआई पुजारी, पुलिस हवलदार नितीन राठोड, रमेश भोले, श्री आघाव, पुलिस कर्मी कल्याण जाधव, श्री डोईफोडे तथा श्री भारती ने संयुक्त रूप से की।

जाति प्रमाणपत्र अवैध...

जिला जाति सत्यापन समिति ने रेखा सरोदे का जाति वैधता प्रमाणपत्र अवैध घोषित कर उसे जब्त कर लिया है। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास मिसाळ ने पैरवी की, जबकि अधिवक्ता दीपक कुलकर्णी ने सहयोग किया.

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com